ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में 'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' पर एक आई.टी आडिट सहित 24 अनुच्छेद तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित ₹ 527.46 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित अन्य अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 33,633.53 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,012.08 करोड़ थी। इसमें से, 80 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 25,566.60 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975.06 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 20 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,343.24 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 4,127.18 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,378.55 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 250 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 5,383 मामलों में कुल ₹ 1,625.53 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने 771 मामलों में ₹ 20.89 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों के लिए 310 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

पेट्रोलियम उत्पादों (चार मामले), न बेचे गए माल (नौ मामले), पूर्व-स्वामित्व कारों (12 मामले), पेंटस (आठ मामले), आई.टी.सी. के बोगस दावे (तीन मामले), आई.टी.सी. के अधिक लाभ (14 मामले) तथा आगे ले जाए गए गलत आई.टी.सी. (आठ मामले) की बिक्री के संबंध में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 24.22 करोड़ के अस्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे हुए।

(अनुच्छेद 2.2.1 से 2.2.9)

टर्नकी कांट्रेक्टरों को पारगमन बिक्री (19 मामले), हाई सी सेलज (चार मामले) की अनियमित कटौती अनुमत की तथा आयात के दौरान बिक्री (दो मामले) की गलत कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 195.38 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ई-I तथा 'सी' फार्मों के 32 मामलों में छूट प्राप्त (पारगमन) बिक्री के दावे गलती से अनुमत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1.1 से 2.3.2.2)

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के जाली 'सी' फार्मों के विरूद्ध, जो डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, की छूट/रियायतें अनुमत की गई थी, परिणामत: ₹ 2.50 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 3.33 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

डीलर को एस.ई.जैड. बिक्री के आधार से ₹ 107.88 करोड़ की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

{अनुच्छेद 2.8 (i) तथा (ii)}

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अनुबंध शर्तों की जोखिम एवं लागत धारा पर बिक्रियों की पुन: नीलामी के पश्चात् रिटेल लिकर आऊटलैटस के 74 चूककर्ता आबंटियों से ₹ 23.70 करोड़ के लाइसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(अनुच्छेद 3.2)

हरियाणा आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 27 मामलों में ₹ 69.04 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

''**हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली**'' पर आई.टी. आडिट ने निम्नलिखित दर्शाया:

हैरिस आई.टी. ऐप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण 254 बिक्री दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण हुआ परिणामस्वरूप ₹ 70.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट दी गई।

(अनुच्छेद 4.2.7.1)

विनियमित की जा रही संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए ऐप्लिकेशन के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹ 4.06 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.7.7)

एम.सी. की सीमा के भीतर आने वाले स्थानों की नॉन-मैपिंग के कारण 3,497 मामलों में ₹ 31.62 करोड़ के दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुदग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.5 (ii)}

आई.टी. ऐप्लिकेशन में सही वैधता नियंत्रण शामिल न करने के कारण 334 दस्तावेजों में ₹ 70.25 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की गलत छूट दी गई।

{अनुच्छेद 4.2.8.7 (i)}

1,000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले एम.सी. सीमा के भीतर किए गए लेन-देनों पर वैधता नियंत्रण की कमी के कारण 1,213 मामलों में ₹ 19.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.8 (i)}

हस्तलिखित रोकड़ बही में दर्ज की गई प्राप्तियों की प्रविष्टियों का सिस्टम जेनेरेटिड रोकड़ बही से मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.83 लाख की कमी हुई।

{अनुच्छेद 4.2.9.1 (i)}

संपादन लेखापरीक्षा

एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि तथा प्राइम भूमि/कालोनियों/वार्डो/सैक्टरों के कलैक्टर रेट लिस्ट में खसरा नंबर की पहचान तथा रिकार्ड करने में विफल रहने तथा कलैक्टरों द्वारा दो माह के भीतर निर्णीत किए जाने वाले मामलों के अनुदेशों का अनुसरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 782 मामलों में ₹ 14.75 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3.1 से 4.3.5)

10 एग्रीमेंटस में विक्रय के लिए एग्रीमेंट की बजाय सामूहिक एग्रीमेंटस के रूप में बिक्री विलेख गलत वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

53 प्राइवेट बस आपरेटरों के संबंध में विभाग द्वारा ₹ 10.20 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.67 लाख की राशि का यात्री कर वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.2)

6. अध्याय-6

कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

पांच कांट्रेक्टरों से बोली धन वसूल करने के लिए समयपूर्व कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज सहित) के बोली धन की कम वसूली हुई। 151 बी.के.ओज से ₹ 66.27 लाख की रायल्टी तथा ब्याज वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.2.2 तथा 6.2.3)

परिवहन विभाग

सिटी बस सर्विस के लिए प्राइवेट आपरेटरों को जारी किए गए 194 परमिटों (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) के संबंध में ₹ 7.55 करोड़ की अड्डा फीस तथा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए 10 डिपुओं के संबंध में ₹ 16.83 लाख की राशि का सेवा कर शॉप कांट्रेक्टरों से एकत्र नहीं किया। मुफ्त/रियायत सुविधा के संबंध में 31 मार्च 2014 को विभिन्न विभागों से ₹ 571.08 करोड़ की राशि लंबित थी।

(अनुच्छेद 6.3.2, 6.3.3 तथा 6.3.5)